JAWAHARLAL NEHRU MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, BHAGALPUR

TENDER /BID DOCUMENT

OPEN -*TENDER* FOR SUPPLY OF ELECTRIC D.G FOR OUT SOURCE IN DIFFERENT DEPARTMENTS OF THE INSTITUTE, FOR A PERIOD OF DURING THE YEAR: 2025-27 THE FINALIZATION OF THE NEXT TENDER, WHICHEVER IS LATER.

Tender Reference No.	PR No. 001383(Health) 25-26
Date of Commencement of sale of Tender Document	1st day of Publication in News Paper
Last Date for sale of Tender Document	3rd day prior to the last date of tender receiving.
Last Date and Time for Receipt of Tender	21 day of 1st Publication up to 5 :00 PM
Place of Submission of Tender	Superintendent Office, JLNMCH, Bhagalpur
Pre-bid meeting date/time & place	7th day of the 1st Publication in the news Paper of 01:00 PM
Time and Date of Opening of Technical Tender	7th day of last date of receiving the tender at 1:00 PM. In Superintendent Chamber
Place, Time & Date of Opening of Price Tender	Superintendent Chamber, 7 days day after Technical Bid Opening, at 1:00 PM.
Cost of the Tender Document	Rs. 5,000/- (Five thousand Only.
Cost of Earnest Money Deposit (EMD)	Rs. 20,00,000/- (Twenty Lacs Only.)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर के लिए Supply of the Electric D.G for Out Source Service During the Year: 2025-27 हेतु इच्छुक निबंधित निर्माता फर्म/आपूर्तिकर्त्ता एजेंसी से मुहरबंद लिफाफा में निबंधित डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की प्रति अद्योहस्ताक्षरी के वेवसाईट Website – www.jlnmchbhagalpur.org से डाउनलोड कर सकते हैं जिसके लिए रू0 5,000/– का डी0डी0 अद्योहस्ताक्षरी के नाम से निविदा के साथ संलग्न रहना अनिवार्य होगा।

ह0/-
अधीक्षक
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय
अस्पताल, भागलपुर।

ज्ञापांक 2385/ भागलपुर दिनांक 22/4/2025/

प्रतिलिपि :– अधीक्षक कार्यालय, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के सूचनापट्ट पर चिपकाने वास्ते।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक कार्यालय, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के Website पर प्रकाशित करने वास्ते।

अधीक्षक
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय
अस्पताल, भागलपुर।
22/4/25

Scanned with OKEN Scanner

अधीक्षक का कार्यालय
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के सभी वार्ड/कक्ष/ओ0टी0/कार्यालय इत्यादि स्थल में 24x7 निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु आउटसोर्स सेवा के तहत नया ध्वनि, धुआँ तथा प्रदुषण मुक्त जेनरेटर का अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु अनुभवी गैर सरकारी संस्थानों /प्रतिष्ठित फर्म/व्यक्तियों से मुहरबंद निविदा निम्नांकित शर्तो के अधीन आमंत्रित किया जाता है :–

1. निविदा एक बड़े लिफाफा, जिस पर "जेनरेटर आउटसोर्स सेवा 2025" अंकित रहेगा, के अन्दर दो शील्ड लिफाफा में देना होगा।
   I. पहला लिफाफा – जिस पर "तकनिकी निविदा" अंकित रहेगा।
   II. दूसरा लिफाफा – जिस पर "वित्तीय निविदा" अंकित रहेगा।

2. तकनिकी निविदा – निम्नलिखित बिन्दुओं से संबंधित कागजात संलग्न करना होगा :–
   I. सक्षम प्राधिकार द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र की अद्यतन प्रति मूल में ।
   II. जेनरेटर संचालन का कार्य अनुभव (न्यूनतम पॉच वर्ष) जो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत हो की अद्यतन प्रति मूल में।
   III. एन0जी0ओ0/गैर सरकारी संस्थान/प्रतिष्ठित फर्म/व्यक्तियों का निबंधन प्रमाण–पत्र एवं तीन वर्षो का ऑडिट प्रतिवेदन/व्यक्तिगत मामलों में कार्य करने का 05 वर्षो का अनुभव एवं विगत तीन वर्षो का आयकर का CA द्वारा तैयार आयकर रिटर्न की स्वयं की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति मूल में।
   IV. पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रति।
   V. आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रति।
   VI. वार्षिक टर्न ओभर न्यूनतम 3 करोड़ रूपये से कम नहीं होना चाहिए।
   VII. जमानत की राशि 20 लाख रूपये का डी0डी0, NSC, अथवा बैंक गारंटी जो अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्याल अस्पताल, भागलपुर के नाम से प्लेन्ड हो।
   VIII. निविदादाता को अपना मोबाईल नं0/Whatsapp No./Email Address देना अनिवार्य होगा।
   IX. जेनरेटर संचालन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी की तीनों शिफ्ट में लिए संस्था एवं कर्मी का चरित्र प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति।
   1. निविदादाता का वस्तु एवं सेवाकर (GST) अधिनियम 2017 के अंतर्गत बिहार राज्य में निबंधित होने का प्रमाण–पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति।
   2. नगर निगम/नगरपालिका द्वारा निर्गत ट्रेड लाईसेंस की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

Scanned with OKEN Scanner

3. वित्तीय निविदा

i. इस संस्थान में पूर्व से अधिष्ठापित (सरकारी जेनरेटर की सूची) :–

क्र0 सं0	जेनरेटर का विवरण	अंक में	शब्द में	GST का विवरण
1.	100 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
2.	63 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
3.	62 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
4.	50 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
5.	40 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
6.	15 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
7.	10 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
8.	250 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
9.	500 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			

ii. निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली जेनरेटर की सूची :–

क्र0 सं0	जेनरेटर का विवरण	अंक में	शब्द में	GST का विवरण
1.	100 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर रख–रखाव नया जेनरेटर सहित दर (प्रति घंटा में)			
2.	250 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
3.	500 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
4.	50 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
5.	62.5 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			

Scanned with OKEN Scanner

6.	50 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
7.	40 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
8.	15 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			
9.	10 KVA का जेनरेटर संचालन डीजल, मोबिल, ऑपरेटर एवं रख–रखाव सभी का सहित दर (प्रति घंटा में)			

शर्तें

(1.) नई जेनरेटर का मूल्य, जेनरेटर में प्रयुक्त डीजल, मोबिल, प्रशिक्षित कर्मी, स्पेयर पार्ट, रख–रखाव एवं सभी तरह की विद्युत तार में व्यय किये जाने वाली राशि का वहन निविदादाता के द्वारा किया जायेगा।

(2.) जेनरेटर द्वारा उत्पादित विद्युत का इस्तेमाल केवल मरीजहित में होगा एवं अस्पताल परिसर से बाहर या अंदर व्यवसायिक आपूर्ति वर्जित रहेगा।

(3.) बिजली कटने पर तत्काल (24x7) विद्युत की आपूर्ति जेनरेटर द्वारा करना अनिवार्य होगा।

(4.) नई अधिष्ठापित की जाने वाली जेनरेटर बिहार राज्य प्रदुषण वोर्ड एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के द्वारा तय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य होगा।

(5.) जेनरेटर परिचालन को लॉगबुक में समय के साथ 24x7 अंकित/प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा जिसका सत्यापन प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित पदाधिकारी/अस्पताल प्रबंधक/स्वास्थ्य प्रबंधक/कर्मचारी के द्वारा किया जायेगा।

(6.) आवंटन उपलब्ध रहने पर ही विपत्र का भुगतान होगा। आवंटन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में भी जेनरेटर का परिचालन (24x7) आवंटन प्राप्त होने तक करना अनिवार्य होगा।

(7.) जेनरेटर का Spare जेनरेटर (24x7) तैयार रखना अनिवार्य होगा।

(8.) जेनरेटर से विभागों के Main Switch एवं Transformer तक की विद्युत वायरिंग चयनित निविदादाता को करना अनिवार्य होगा।

(9.) इस संस्थान में विभिन्न विभागों में प्रत्येक विद्युत Point पर 220 से 240 वोल्ट तक बिजली की आपूर्ति सूनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

(10.) जेनरेटर से संबंधित विपत्र प्रति घंटा के आधार पर लॉग बुक के प्रविष्टि ऑकड़ों के आधार पर प्रतिमाह पारित किया जायेगा।

(11.) डीजल, मोबिल, स्पेयर, रख–रखाव एवं कर्मी की दर में होने वाली व्यय को ध्यान में रखकर दर कोट करें, निविदा में स्वीकृत दर अगले दो वर्षो (2025–27) के लिए मान्य होगी।

16/1/25

Scanned with OKEN Scanner

(12.) सरकार द्वारा निर्बाध (24x7) विद्युत की आपूर्ति होने पर निविदादाता द्वारा आपूर्ति जेनरेटर की Stand by mode की स्थिति में प्रतिदिन की न्यूनतम दर पर भुगतान किया जायेगा। इसलिए जेनरेटर का भाड़ा प्रतिदिन के अनुसार अलग से कोट करना अनिवार्य होगा।

(13.) जेनरेटर के सुलभ संचालन एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम तीन प्रशिक्षित (तीन शिफ्ट के लिए) एवं अनुभवी ITI उत्तीर्ण (मेकनिकल एवं इलेक्ट्रीकल) कर्मी को रखना अनिवार्य होगा।

(14.) निविदा कम्प्युटर द्वारा टंकित/प्रिंट होना चाहिए। हस्तलिखित अथवा लिप्तलेखन वाले निविदा को तत्काल रद्द कर दिया जायेगा।

(15.) तकनिकी रूप से सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा। निविदा का न्यूनतम दर को ही स्वीकृत किया जायेगा। न्यूनतम दर का अर्थ जेनरेटर संचालन के लिए वह दर जिसमें उक्त कार्य का गुणवत्ता बरकरार रखते हुए सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके।

(16.) विपत्र का भुगतान GST की नियमानुसार कटौती उपरान्त किया जा सकेगा, इस परिपेक्ष्य में सरकारी दिशा-निर्देश के अनुसार कारवाई की जायेगी।

1. अतिन्यूनतम दर पर निविदा प्राप्त कर असंतोषजनक कार्य करने वाले या कार्य छोड़ देने की स्थिति में अग्रधन की राशि एवं जेनरेटर को जब्त करते हुए काली सूची में एजेंसी या नाम दर्ज कर दी जायेगी एवं नियमानुसार कारवाई भी प्रारंम्भ किया जायेगा।

2. किसी भी प्रकार के औचक जॉच या निरीक्षण के क्रम में यह पाया जायेगा कि अनुबंध निविदा के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है तो संबंधित निविदादाता को एक माह का भुगतान दण्ड स्वरूप काट लिया जायेगा। तीन बार ऐसे दण्ड प्राप्त करने वाली निविदादाता की एकरारनामा को समाप्त करते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा।

3. जेनरेटर का Noise Label 70 DBA से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. प्रीवीड मिटिंग एवं निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रह सकते है। उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकेगी।

5. किसी भी अवस्था में निविदा/एकरारनामा को अंशतः या पूर्णतः संशोधित अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

6. स्वास्थ्य विभागीय परिपत्र सं0 134(7) दिनांक 3.07.2023 के अनुसार यह निविदा/एकरारनामा केन्द्रीयकृत व्यवस्था लागु होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगा।

7. किसी भी प्रकार की कदाचार, सेवा में कभी कार्य असंतोष पाये जाने अथवा अस्पताल प्रशासन अथवा सरकार के विरूद्ध कार्य में लिप्त पाये जाने पर बिना किसी कारण पृच्छा के एकरारनामा को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए जेनरेटर सेवा समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगी एवं द्वितीय न्यूनतम दर (L2) से कार्य लेने का अधिकार भी क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

Scanned with OKEN Scanner

8. निविदा में भाग लेने का मूल्य 5,000/— रू0 होगा, जो अधीक्षक जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के नाम से होना अनिवार्य है।

9. यह व्यवस्था केन्द्रीयकृत एजेंसी के चयन होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगा।

10. जिन निविदादाता को उपरोक्त शर्ते मान्य हो, वो निविदा में भाग ले सकते है।

16/4/18

अधीक्षक
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय
अस्पताल, भागलपुर।

Scanned with OKEN Scanner